



Haryana Industrial Training Directorate,
Headquarters: Chandigarh

सेवा में

सभी उप-कार्यालय,
हरियाणा राज्य में।

यादी कमांक प्रशासन-1/एए-3/वरिष्ठता/टीई/148/24/ 2429

दिनांक: 10-12-2015

विषय:- माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार उप-कार्यालयों में कार्यरत लिपिकों की वरिष्ठता सूची में नाम अंकित करने बारे।

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में।

सूचित किया जाता है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, पंचकुला से 15 प्रार्थियों की चयन सूची दिनांक 21.3.2013 को प्राप्त हुई थी। तदानुसार विभाग द्वारा इन प्रार्थियों को लिपिक के पद पर नियुक्ति पत्र दिनांक 1.4.2013 को जारी कर दिये गये थे। इन कर्मचारियों को नई पैशन स्कीम में शामिल करने व जी.पी.एफ नम्बर ना खोलने पर, कर्मचारियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में CWP No. 24650 of 2013, 10548, 11100 of 2014, 2251 of 2015 V/s State of Haryana and Others के विरुद्ध दायर कर दी गई। जिनमें माननीय पंजाब एण्ड हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा प्रार्थियों की मांग को मानते हुये दिनांक 30.9.2015 को निम्न आदेश पारित किये थे:-

In view of the above facts, as also delay on the part of the respondent State, in offering appointments to the petitioners, they cannot be made to suffer financial loss as it is the un rebutted case that the Old Pension Scheme entitle them to much higher financial benefits than the New Pension Scheme. Even otherwise, once the Old Pension Scheme with higher financial benefits is made applicable to persons lesser in merit to the petitioners, then there is no reason why the same benefit should be denied to persons, who were and are higher in merit to them.

In view of the above, this bunch of 23 writ petitions is allowed with a direction to the respondents to make applicable in the case of the petitioners, the Old Pension Scheme by disregarding the impugned clause in their offer of appointment, which, in view of the observations made above, is quashed.

उक्त माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार 15 कर्मचारियों को deemed date से appointment के आदेश दिनांक 9.12.2015 को जारी किये गये है। निदेशालय के पत्र यादी कमांक प्रशासन-1/ एए-3/ वरिष्ठता/ टीई/148/24/215 दिनांक 7.2.2014 को जारी की गई लिपिकों की वरिष्ठता सूची में इन 15 कर्मचारियों के नाम श्री जयपाल सिंह सपुत्र श्री हरकिशन सिंह कमांक न० 97 के नीचे कमांक न० 98 पर श्री राम स्वरूप, 99 श्री पृथ्वी सिंह, 100 श्री शीशपाल, 101 श्री रामवीर, 102 श्री कृष्ण चन्द्र, 103 श्री सुभाष चन्द्र, 104 श्री ज्ञान सिंह, 105 श्री बलजीत सिंह, 106 श्री राम मेहर, 107 श्री देवा नन्द, 108 श्री सुभाष चन्द्र, 109 श्री जगमोहन सिंह, 110 श्री हरबंस सिंह, 111 श्रीजय प्रकाश व 112 श्री रामेश्वर दास का नाम श्रीमति कृष्ण देवी कमांक न० 113 के उपर अंकित किये जाते है। यदि किसी कर्मचारी को आपत्ति हो तो वह पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर अन्दर अपना प्रतिवेदन दे सकता है। यदि इस अवधि के दौरान कोई प्रतिवेदन प्रान्त नहीं हुआ तो यह समझा जाएगा कि आपको इस बारे कोई आपत्ति नहीं है। सभी प्रधानाचार्यों को निर्देश दिये जाते है कि वह सभी सहायको/लिपिकों को वरिष्ठता सूची नोट करवा देवे।

सहायक निदेशक (प्रशासन-1)
कृते: महानिदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग,
हरियाणा।

पृ० कमांक: प्रशासन-1/एए-3/वरिष्ठता/टीई/148/24/2430 दिनांक 10-12-2015

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है:-

1. नोडल अधिकारी वेब-साईट पर डालने हेतु।
2. प्रधानाचार्य राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, चौटाला, कैथल, पलवल, रोहतक, बल्ला, किलोई, हांसी, कलानौर, सिरसा, जुलाना, झज्जर एट गुडा, (महिला) टोहाना, (महिला) कैथल व (महिला) हांसी को भेजते हुये निर्देश दिये जाते है कि वह सम्बन्धित को वरिष्ठता नोट करवा देवे।
3. सम्बन्धित कर्मचारी।

सहायक निदेशक (प्रशासन-1)
कृते: महानिदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग,
हरियाणा।